

# कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001

संख्या:1628/सीईओ-2-67/2-2007

लखनऊ दिनांक: 24 दिसम्बर, 2011

सेवा में,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

विषय: मतदेय स्थलों में महिला मतदाताओं हेतु विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपरोक्त विषय पर भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-23/UP/2011/NS-III दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2 आयोग ने मतदेय स्थलों में महिला मतदाताओं हेतु विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये हैं।

कृपया आयोग के उक्त निर्देशों का अध्ययन कर समस्त रिटर्निंग आफिसर्स, सहायक रिटर्निंग आफिसर्स एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,



(चन्द्र मोहन मिश्रा)

विशेष कार्याधिकारी।

संख्या:1628(1)/सीईओ-2, तद्दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र०।
- 5- प्रभारी कम्प्यूटर कक्ष, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(चन्द्र मोहन मिश्रा)

विशेष कार्याधिकारी।

तार : निर्वाचन  
नई दिल्ली  
GRAM: ELECCOM  
NEW DELHI

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय  
SECRETARIAT OF THE  
ELECTION COMMISSION OF INDIA

फैक्स : 23716617  
FAX: 23716617  
Phone- 2377338

संख्या  
NO: 23/UP/2011/NSIII

निर्वाचन सदन  
NIRVACHAN SADAN  
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001  
ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

तारीख  
Dated: 23<sup>rd</sup> December, 2011

To,

The Chief Electoral Officer,  
Uttar Pradesh,  
Lucknow.

Subject: Special facilities in polling stations for women electors.

Sir,

The Commission has always been emphasizing for enhanced participation of women electors on poll day to improve the turnout of women electors. Instructions exist that in places where two polling stations are set up in the same building or compound, there is no objection to allotting one of them for men and the other for women'. Further, where there are a large number of women electors, especially *purdahnasheen* women, women Polling Officers should be appointed to carry out the duty of identifying the female voters. The Commission's Order No.576/11/ESO24/94-J.S.II, dated 21.10.1994 contained in the Compendium of Instructions on Conduct of Elections-Volume-IV also refers for providing special facilities in polling stations for women voters.

The Commission has now decided, in view of the fact that women electors coming to vote at polling stations have to attend many household chores, two women voters may be allowed entry into polling station for entry of one male voter.

Please inform all concerned and give due publicity to this.

Yours faithfully,

(HARBANS SINGH)  
UNDER SECRETARY

2785/1000  
ACEO

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

23.12.11

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं  
प्रमुख सचिव, निर्वाचन, उ०प्र० शासन।  
043/1000/11  
ASD (M)

23 (सुब्रह्मण्य) कुमार नारायण  
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश एवं  
सचिव, निर्वाचन, उ० प्र० शासन.

S/O/SOI  
23/12